

राजस्थान सरकार
निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर


क्रमांक:- निसंशि/संस्था-1/स्थाना0/2010/32924-941 जयपुर, दिनांक: 5.10.2010

आदेश

निम्नांकित व्याख्याताओं के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर स्वयं की मांग/प्रशासनिक दृष्टि से तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं-

क्र०सं०	नाम कार्मिक	पद	कहाँ से	कहाँ को	वि०वि०
1	श्री हरिशंकर प्रजापति	व्याख्याता (हिन्दी)	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, बौली, सवाई माधोपुर।	राजकीय शास्त्री, संस्कृत महाविद्यालय, दौसा।	श्री राजेन्द्र लखावत के स्थान पर
2	श्री राजेन्द्र सिंह लाखावत	व्याख्याता (हिन्दी)	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, दौसा।	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, अजमेर।	श्री हरिहरण शर्मा के स्थान पर
3	श्री हरिहरण शर्मा	व्याख्याता (हिन्दी)	राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, अजमेर।	राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, बौली जिला सवाई माधोपुर।	श्री हरिशंकर प्रजापति के स्थान पर

1. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20.09.2010 में क्र०सं० 7 पर अंकित श्री महेश चन्द शर्मा व्याख्याता सा०संस्कृत का राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर से सा०शा०सं०महाविद्यालय, सालासर, चूरू में किया गया पद सहित स्थानान्तरण निरस्त किया जाता है।
2. क्रम संख्या 3 को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा। शेष मामलों में स्थानान्तरण स्वयं के आवेदन/स्वेच्छा से होने के कारण उन्हें यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय नहीं होगा बल्कि वास्तविक यात्रा समय ही दिया जायेगा।
3. उक्त आदेश प्रसारित होने से पूर्व जिन व्याख्याताओं के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय से यथास्थिति के आदेश हैं, उन पर उक्त आदेश लागू नहीं होंगे।


निदेशक,

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- निसंशि/संस्था-1/स्थाना0/2010/32924-41

जयपुर, दिनांक: 5.10.2010

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, मान० संस्कृत शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, मान० संस्कृत शिक्षा राज्यमंत्री राजस्थान सरकार
3. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी
4. संबंधित प्राचार्य
5. संबंधित कार्मिक
6. व्यक्तिगत पंजिका/रक्षित



संयुक्त निदेशक,
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर